रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 1993/श्रावण 11, 1915
No. 463] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 1993/SRAVANA 11, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1993

सं. 40/93(एन.टी.)-सीमाशुल्क

का.आ. 588(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 72—सीमाशुल्क, तारीख 19 मई, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) महाराष्ट्र राज्य में रेवी पत्तन,—

(क) कर्मी दल सामान की लदाई और उतराई,

(ख) धातु कर्म कोक/कोयला की उतराई, और

(ग) निर्यात के लिये लोह अयस्क की लदाई,

के लिये शुल्क पत्तन होगा।"

[फा.सं. 574/9/92-एल.सी.]

एस. एम. भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 1993

No. 40/93(NT)-CUSTOMS

S. O. 588(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 72-Customs, dated the 19th May, 1973, namely :—

In the said notification, for clause (i) the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) The port of Redi in the State of Maharashtra to be a customs port for the—

(a) loading and unloading of crew baggage,
(b) unloading of metallurgical coke/coal, and
(c) loading of iron ore for export".

[F. No. 574/9/92-L. C.]

S. M. BHATNAGAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993